न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 16/2017

अपीलांट्स–
1. ताराराम पुत्र केसरराम
2. भगाराम पुत्र केसरराम
3. मानाराम पुत्र केसरराम
4. भारूराम पुत्र केसरराम
5. फजूराम पुत्र केसरराम
6. मंछाराम पुत्र धोकलाराम
7. खीमाराम पुत्र धोकलाराम
8. कुम्पाराम पुत्र वालाराम
9. सगताराम पुत्र वालाराम
10. द्वारकाराम पुत्र वालाराम
11. वगताराम पुत्र वालाराम
12. शंकरलाल पुत्र वालाराम
13. पेमीदेवी पत्नी वालाराम
14. भीखाराम पुत्र तुलछाराम
15. समरथाराम पुत्र फरसाराम

जाति कुमावत निवासी हेमानाडा निम्बला तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. कुटलाराम पुत्र विसनाराम
2. हमीराराम पुत्र विसनाराम
3. गोमाराम पुत्र विसनाराम
4. भोपाराम पुत्र गेनाराम
5. बाबूलाल पुत्र गेनाराम
6. रूपाराम पुत्र भगाराम
7. दुर्गाराम पुत्र भगाराम
8. नवलाराम पुत्र शिवलाल
9. टीलाराम पुत्र शिवलाल फोत के कायम मुकाम

9.1 हड़ूमानराम पुत्र टीलाराम
9.2 रेवन्ताराम पुत्र टीलाराम
9.3 मगीदेवी पत्नी टीलाराम

10. आम्बाराम पुत्र शिवलाल
11. वीराराम पुत्र खीमाराम
12. गोरखाराम पुत्र खीमाराम
13. पांचीदेवी पत्नी खीमाराम
14. शंकराराम पुत्र हरजीराम
15. चैनाराम पुत्र हरजीराम

जाति कुमावत निवासी हेमानाडा निम्बला तह0 शिव जिला बाड़मेर

16. तहसीलदार शिव जिला बाड़मेर

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक : राजस्व/2011/422 दिनांक 13.01.2011 जो अपीलांट्स व उत्तरदाता सं. 1 से 15 की संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु पारित किया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उपस्थिति :-

1. श्री अम्बालाल जोशी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री केसराराम बिश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1से15 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 16 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 04/12/2019

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार शिव के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 13.01.2011 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा हेमानाडा के खेत खसरा नम्बर 470 रकबा 202-02 बीघा बारानी दोयम भूमि खातेदारान ताराराम, भगाराम, मानाराम, भारूराम, फजुराम पि0 केहरा, मंशा, खीमा पि0 धोकला, पेमी पत्नी बालाराम, कूंपाराम, सगताराम, द्वारकाराम, बगताराम, शंकरलाल पि0 बालाराम, भीखा पुत्र तुलछा, ताराराम, भगाराम, मानाराम, भारूराम, फजुराम पि0 केहरा, सिमरथा पुत्र फरसा 1/3 हमीरा पुत्र विशना, भोपाराम, बाबूलाल पि0 गेनाराम, कुटलाराम, हमीराराम, गोमाराम पि0 विशना 1/3 भगाराम, नवलाराम, टीलाराम, आम्बाराम पि0 शिवलाल, शंकराराम, चैनाराम पि0 हरजी खीमा वल्द जोगा 1/3 कौम कुम्हार साकिन देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 13.01.2011 तहसीलदार शिव के समक्ष बमुकाम शिव प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान श्री देराराम, पंचायत समिति सदस्य शिव द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी नीम्बला द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि पक्षकारान के उक्त इकरारनामे की रिकार्ड के आधार पर जांच की गई। वर्णित भूमि उक्त खातेदारों के नाम सह काश्तकारी मे दर्ज है तथा इस इकरारनामे मे भूमि एवं लगान का विवरण सही किया गया है, इसी माफिक सभी पक्षकार सहमत है एवं कोई विवाद नही हैं। इस पर तहसीलदार शिव द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक : राज/2011/422 दिनांक 13.01.2011 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.02.2017 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलकर्तागण एवं रेस्पोडेंट्स ने संयुक्त खातेदारी की कृषि जोत का विभाजन सहमति से करवाना तय किया गया। अपीलांट्स ने हल्का पटवारी पर विश्वास कर कदीमी मौका कब्जा–काश्त अनुसार बंटवाड़ा कराने हेतु प्रस्ताव रखा जिस पर हल्का पटवारी द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव अनुसार विभाजन करने हेतु सहमति इकरारनामा व नक्शा के साथ तहसीलदार शिव के समक्ष पेश हुए। रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट्स को धोखे मे रखकर छल व कपट से नक्शा मे अपीलांट के भौतिक कब्जा के विपरित गलत तरमीम का बंटवाड़ा किया गया हैं। उक्त बंटवाड़ा नक्शा की हल्का पटवारी एवं तहसीलदार शिव द्वारा बिना मौके पर कब्जे की जांच किये ही स्वीकृति जारी कर दी तथा नामान्तरकरण भी पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश अपीलांट व उत्तरदातागण के मध्य पूर्व में हुए बाहमी बंटवाड़े के अनुसार नहीं किया गया हैं न ही कब्जा अनुसार है, तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा–काश्त में भारी भिन्नता है, जिसके कारण अपीलांट की ढाणी, बाड़े आदि उत्तरदाता के हिस्से में चले गये हैं। अपीलाधीन विभाजन पक्षकारान के भौतिक कब्जे के अनुसार नहीं किया गया हैं बल्कि उत्तरदातागण के दबाव में रहते हुए अच्छी किस्म की भूमि अपने हिस्से में रखते हुए किया गया है, इससे यह प्रमाणित है कि यह सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित हुई है, जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना कर, बंटवाड़ा एवं नामान्तरकरण पारित करने एवं नक्शा मे तरमीम करने मे राजस्व नियमावली की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा का इकरारनामा पर पारित आदेश एवं बंटवाड़ा का नामान्तरकरण व नक्शा मे की गई तरमीम काबिल अपास्त है।

5. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलांट्स को आलौच्य बंटवाड़ा के स्वीकृत होने की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी एवं अपीलांट अपने पूर्ववर्ती कब्जे अनुसार ही आज दिन तक विवादित आराजी पर काबिज काश्तकार हैं। अर्सा 20–25 दिन पूर्व जब उत्तरदातागण ने मिलकर अपीलांट्स के कब्जे–काश्त में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तब दोनो पक्षकारों में विवाद हुआ, तब उत्तरदातागण नें बताया कि बंटवाड़ा अनुसार कब्जा–काश्त करेंगे। इस पर अपीलांट ने विभाजन

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर बाड़मेर

कार्यवाही की नकलें प्राप्त की जो दिनांक 21.02.2017 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। यद्यपि सम्यक तत्परता व सद्भावना से पेश की हैं फिर भी कानूनी प्रावधानों की पूर्ति हेत धारा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विभाजन आदेश दिनांक 13.01.2011 निरस्त कर विवादित आराजी का मौके पर पक्षकारान की सहमति एवं कब्जे–काश्त अनुसार बंटवाड़ा करने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने जवाब मे प्रकट किया कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स ने अपनी संयुक्त खातेदारी की कृषि जोत का विभाजन आपसी सहमति से पारित करवाया गया हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न जो नक्शा पेश किया गया था, उसका ज्ञान अपीलांट व उत्तरदाता अनपढ़ होने से नहीं रहा एवं पटवारी द्वारा गलत रूप से तरमीम पर हस्ताक्षर करवा दिये। अब इस अपील के द्वारा सही दुरूस्त किये जाने पर उत्तरदातागण को कोई एतराज नहीं है तथा उत्तरदातागण अपनी सहमति प्रकट करते हैं। अतः मौजा हेमानाडा के खसरा नम्बर 470 रकबा 202–02 बीघा का नये सिरे से पक्षकारान का मौके पर कब्जा–काश्त व बाहमी बंटवाड़े के अनुसार विभाजन किये जाने का आदेश फरमावें।

7. हमने दोनो अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र दिनांक 13.01.2011 तहसीलदार शिव के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान के द्वारा प्रस्तावित विभाजन अनुसार भूमि आपसी रजामंदी अनुसार प्रदान की गई हैं। इस विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्रस्तुत नक्शा केवल पक्षकारान के हिस्से की स्थिति दर्शाने हेतु नजरीया नक्शा है, जिसका राजस्व रेकर्ड मे अंकन हेतु मौके पर पैमाईश की जाकर रेकर्ड मे दर्ज रकबा अनुसार तरमीम का अंकन किया जाना हैं। अपीलांट्स के अधिवक्ता का कथन हैं कि नक्शे में अंकित तरमीम के द्वारा अपीलांट के कब्जे वाली भूमि रेस्पोडेंट के हिस्से में चली गई हैं जबकि विभाजन नक्शा में प्रत्येक खातेदार को उसके कब्जे अनुसार भूमि का हिस्सा प्रदान करते हुए सहमति हेतु हस्ताक्षर / अंगुष्ठ छाप अंकित कराये गये हैं जिसमे अधिकांश पक्षकारान ने हस्ताक्षर अंकित किये हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत केवल वे ही अंतिम आदेश अपील योग्य

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

होंगे जो तृतीय अनुसूची में उल्लेखित किसी भी प्रार्थना पत्र में पारित किये गये हैं। इसके अलावा तृतीय अनुसूचि में उल्लेखित के सिवाय अन्य किसी आदेश की अपील धारा 222 में यथाविहित प्रावधान के अन्तर्गत अनुज्ञेय ही नहीं हैं। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान ने अधिनस्थ तहसीलदार शिव के समक्ष धारा 53(2)(i) के तहत सहमति इकरारनामा प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी का विभाजन स्वीकार किया हैं तथा तहसीलदार शिव द्वारा इस इकरारनामा को अपीलाधीन आदेश के द्वारा तस्दीक किया गया हैं। पक्षकारान द्वारा उक्त विभाजन कराने के बाद अपने–अपने हिस्से की भूमि के खातेदार दर्ज हो जाने के छः वर्ष बाद राजस्व रेकर्ड में फेरबदल कराने हेतु पुनः सहमत हो रहे हैं, जबकि अधिनियम की तृतीय अनुसूचि में तहसीलदार द्वारा धारा 53(2)(i) के प्रार्थना पत्र में पारित आदेश के बारे में कोई प्रावधान नहीं दिया गया हैं, इस आधार पर सहमति विभाजन इकरारनामा के तस्दीक आदेश के विरूद्ध धारा 225 के अधीन अपील कतई अनुज्ञेय नहीं हैं साथ ही अपीलांट्स द्वारा एक बार सहमति प्रदान करने के बाद इसे जरिये अपील चुनौती दिया जाना विधिसम्मत नहीं हैं। इसके उपरांत भी यदि पक्षकारान इस सहमति विभाजन इकरारनामा को छल–कपट के द्वारा अथवा धोखे में रखकर निष्पादित करवाया जाना मानते हैं तो इसके लिये सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। द्वितीय अपीलांट्स जब स्वंय उक्त अपीलाधीन विभाजन तस्दीक कराने हेतु तहसीलदार शिव के समक्ष उपस्थित हुए हैं तो इस आदेश की जानकारी उन्हे तत्समय नहीं होने का कथन मानने योग्य नही हैं। परिणामस्वरूप अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 222 के तहत अनुज्ञेय नहीं होने के साथ ही सारहीन तथ्यों पर आधारित होने एवं मयाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील विधि के प्रावधानों के तहत अनुज्ञेय नही होने एवं सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

9. आदेश आज दिनांक 04.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2019.12.11 18:10:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: